ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE
24, AKBAR ROAD, NEW DELHI
COMMUNICATION DEPARTMENT

Highlights of Press Briefing **17 April, 2025**

Dr Abhishek Manu Singhvi, MP and Chairman, Law, Human Rights & RTI department, AICC and Shri Imran Pratapgarhi, MP and Chairman, Minority Deptt, AICC addressed the media at AICC Office, today.

Dr. Abhishek Manu Singhvi said- I am going to speak with you about the Waqf Amendment Act of 2025 and let me clarify at the outset, since the matter is going on, it was heard today and also the next date is 5th and I, myself a counsel leading in that matter. I am going to strictly separate the political comment as a spokesperson and Rajya Sabha member of our party with a legal critic of the Act, which is separate, and I will tell you in the legal part the principle points we are raising as grounds of attack before the honorable Supreme Court and none of this is intended in any manner to prejudge the issue which has been heard at length yesterday and today and will also be heard for further interim relief etc. on 5th. But, I will try to the best of my ability, scrupulously to separate the political and the legal, but focusing more on the political. I wanted to say, and part of this we have said in Parliament. I had occasion to speak in Parliament, my able colleague spoke very well and very strongly in Parliament.

So, I wanted to say friends that this is not reform. It is retaliation in the guise of the reform. It is retaliation meticulously scripted, strategically timed and constitutionally questionable. The Waqf Amendment Act is not an exercise in efficiency, as it pretends to be. It is an exercise in erasure. Behind the bland language of governance lies the bold ambition of control. Religious autonomy is being reduced to state administered protocol and community rights are being redrawn with bureaucratic pens. Let's be clear, this is not about improving institutions. This is about infiltrating them, controlling them and closing them.

जिसे सरकार सुधार बता रही है वह दरअसल अधिकारों पर प्रहार है। वक्फ अधिनियम कोई प्रशासनिक कदम नहीं है, प्रशासनिक कार्यकुशलता का कोई कदम नहीं है, बल्कि यह एक मूल वैचारिक हमला है। इसे पढ़िए, इसे समझिए, यह कानून सुधार की भाषा में पूरी तरह से 100 प्रतिशत नियंत्रण की नीति लाने का प्रयत्न करता है, लिखता है। यह ना सिर्फ धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर चोट करता है, बल्कि अल्पसंख्यकों की

आत्मनिर्णय, स्वायत्तता की भावना को कुचलता है। यह सत्ता की दखल अंदाजी को सुशासन कहकर पेश करता है। बड़ी अजीब विडंबना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक पार्टी के रूप से किसी रूप में चुप नहीं रहेगी और इसका हर प्रकार से कानूनी, राजनीतिक, पार्लियामेंट संसद के अंदर, संसद के बाहर इसका विरोध करेगी।

Friends, at a political level you cannot amputate Article 26 and call it administrative efficiency. You cannot call this an amendment act, whereas in fact it is an assault, an assault on identity, an assault on autonomy, an assault on constitutional values. A board with a token Muslim representation is a form of appropriation. Its' not about minorities called Muslims. It's about a messaging; it's about a message that minority institutions are fair game for state takeover.

दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि यह एक लक्ष्य से प्रेरित, एक लक्षित अतिक्रमण है और मैंने इसमें आज भी लिखा है, आज ही छपा है उसके विषय में, लेकिन आपको संक्षिप्त बताना चाहता हूं मैं कानूनी रूप से अब और मैं ज्यादा इस वक्त अब राजनीति से कानून की तरफ जा रहा हूं और वापस स्पष्ट कर रहा हूं कि मैं किसी रूप से उच्चतम न्यायालय की दलीलों के ऊपर कोई निर्णय नहीं दे रहा हूं, कोई प्री जजिंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो दलीलें हैं हमारी, उनका क्या तर्क है, उनका क्या उद्देश्य है, उनका क्या मतलब है वह आपको समझाने की और आपके जरिए देश को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं।

जैसा मैंने कहा कि यह स्वायत्ता के इतना विरुद्ध है कि स्थापित न्यायिक सिद्धांत जितने भी हैं 1950 और 60 के दशक से, उन सबका हनन करता है और उन सबको कुचलता है प्रशासनिक कार्यकुशलता के नाम पर। मैं सात-आठ बिंदु आपको जल्द से गिनवा देता हूं।

पहला - दो अनुच्छेद हमारे पार्ट थ्री में मानव अधिकार के विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं। पार्ट थ्री, जिसको हम मानव अधिकार का वर्ग कहते हैं, उसमें सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, लेकिन विशेष रूप से 25 और 26... और 26 बड़ा स्पष्ट रूप से कहता है कि हर व्यक्ति को पूरा अधिकार क्षेत्र स्वायत्त है कि वह निर्वाह करे, अभ्यास करे, प्रसारित करे, प्रचार करे अपने धर्म का और अपने धर्म से संबंधित संस्थाओं को चलाए, मैनेज करे, उसमें बैठे, उसमें चुनावित हो, इत्यादि-इत्यादि। कोई यह नहीं कह रहा है कि यह अधिकार जो संवैधानिक अधिकार हैं, यह पूरे एब्सोल्यूट हैं, इनमें कोई सीमा नहीं है। सीमा भी लिखी गई है संविधान में... तीन सीमाएं लिखी गई हैं।

1. पब्लिक ऑर्डर, सार्वजनिक व्यवस्था
2. स्वास्थ्य, हेल्थ
3. नैतिकता, मोरैलिटी

ये तीन शब्द संविधान ने खुद ने डाल दिए प्रतिबंध के रूप से और आप देखेंगे, जैसे मैं बताता हूं आपको उदाहरण के तौर पर कि यह तीन दूरगामी रूप से भी कोई संबंध नहीं रखते वक्फ एक्ट से, कोई इसमें ऐसा प्रावधान नहीं है जो सार्वजनिक कानूनी व्यवस्था को बचाने के लिए किया गया हो। कोई इसमें ऐसा प्रावधान नहीं है जो स्वास्थ्य के लिए किया गया हो। कोई इसमें ऐसा प्रावधान नहीं है जो सार्वजनिक नैतिकता या पब्लिक मोरैलिटी के लिए किया गया हो।

तो इस प्रावधान पर, जैसा मैंने कहा 60 साल, 70 साल पहले, 50 के दशक में और उसके बाद 60 के दशक में... मैं आपको कानून से बोर नहीं करूंगा। बड़े महत्वपूर्ण जानेमाने पांच खंडपीठों के आदेश हैं उच्चतम न्यायालय के, विस्तार से व्यापक निर्णय हैं। रतिलाल गांधी है, तिलकायत गोविंदलाल जी महाराज के नाम से है, जिसने कहा है कि किसी रूप से अगर आप किसी ऐसे वर्ग की संस्थाओं को स्वायत्तता से हटाएंगे, उनके ऊपर नियंत्रण इतना करेंगे कि उनका स्वायित्व खत्म होता है तो वह असंवैधानिक है। इस मूल 60-70 साल पुराने सिद्धांत को यह कानून बेरहमी से हनन करता है और इस उल्लंघन से वो जो मूल हिस्सा है, जो हृदय है और जो आत्मा है संविधान की, उसको भेदता है, छेदता है।

दूसरा बिंदु - एक प्रावधान है 11 और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 11 के बारे में उच्चतम न्यायालय ने आज कुछ नहीं कहा है अपने आंतरिक आदेश में, लेकिन हमारी दलील होने वाली है, ऑलरेडी है और विस्तार से सुनेंगे तो होगी। तो जैसा मैंने कहा कि मैं आपको सिर्फ एक अपना पक्ष और तर्क रख रहा हूं, मैं किसी रूप से पूर्व निर्णय नहीं देना चाहता किसी चीज के ऊपर। हमारी दलील यह है कि एक प्रावधान है 11, उसमें 100 प्रतिशत नामांकन का प्रावधान कर दिया है, यानी चुनावित कैटेगरी को हटा दिया है। नामांकन कौन करेगा - प्रदेश सरकार। जब 100 प्रतिशत नामांकन होगा, तो क्या रही स्वायत्ता का नाम, क्या रहा संस्थापित स्वायत्ता, क्या रही स्वतंत्रता, यह एक मुद्दा है।

तीसरा मुद्दा, जिस पर आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिबंध लगाया है और हम उसका पुरजोर तरीके से स्वागत करते हैं। वह हैं दो प्रावधान 9 और 14... 9 डील

करता है एक केंद्र की काउंसिल से, उस काउंसिल में अभी तक यह याद रहे, अभी तक जो कानून चल रहा था 2013 का था, उससे पहले 1995 का था, जिसको 2013 ने संशोधित किया, उसके भी पहले और 13 तक या अभी भी जो कानून चल रहा है, क्योंकि यह तो सिर्फ एक अमेंडमेंट है, संशोधन है, कानून अभी भी 95 वाला है... हमेशा पूर्णतया 100 प्रतिशत मुसलमान ही वक्फ पर रह सकते थे और इसमें कोई ऐसे आश्चर्य की बात नहीं है, हमने पार्लियामेंट में और बाहर भी कई आपको उदाहरण दिए। कर्नाटक का हिंदू रिलीजियस एक्ट, जगन्नाथ टेंपल का, माता वैष्णो देवी का, इधर अपने तिरुपति का, काशी विश्वनाथ का, सिख गुरुद्वारा एक्ट, कई हैं, जिसमें यह बड़ा स्पष्ट है कि सिर्फ उसी समुदाय, उसी धार्मिक वर्ग के लोग ही उसका संचालन कर सकते हैं और यह स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं है।

तो यह दो प्रावधान हैं 9 और 14, इसमें पहली बार प्रावधान यह है कि संभवतः थ्योरेटिकली... जहां तक काउंसिल का सवाल है तो 12, 22 में से नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूं, है तो प्रावधान बड़ा लंबा-चौड़ा और विकसित, लेकिन 22 टोटल हो सकते हैं, उसमें से 12 तक नॉन मुसलमान हो सकते हैं। केंद्रीय काउंसिल जो है वक्फ। जो दूसरा प्रावधान है 14 नंबर, वो बोर्ड्स के बारे में है। बोर्ड्स में 11 में से सात नॉन मुसलमान हो सकते हैं। ये मुसलमानों की बात नहीं हो रही है, यह बात हो रही है कि अपनी संस्था को स्वायत्ता के साथ, अपने समुदाय द्वारा, अपने धार्मिक वर्ग द्वारा चलाया जाए और जो पिछले 70... यह पहला जो एक्ट है वक्फ का कानून वो 1913 में आया था, फिर 23 में आया, फिर 95 में आया, फिर 13 में फिर असंशोधित हुआ 2013 में... 1913 में 100 वर्ष से ज्यादा पहले। कभी ऐसा नहीं हुआ जो 9 और ये 14 वाले प्रावधान कहते हैं और कल भी हमने दलील की, पक्ष रखा उच्चतम न्यायालय के सामने, कुछ प्रश्न उत्तर भी हुआ, जो आज रिपोर्ट रिपोर्ट भी हुआ है कि क्या आप सिख गुरुद्वारा एक्ट में किसी और मुसलमान को डालेंगे? क्या वैष्णो देवी श्राइन में किसी मुसलमान को बिठाएंगे, इत्यादि-इत्यादि।

और बड़े अजीबोगरीब प्रावधान हैं। एक प्रावधान है कि अगर 100 प्रतिशत, हम लोग 100 प्रतिशत लोग हैं, अविश्वास मत करें इस आदमी के ऊपर जो हमारा अध्यक्ष है। बोर्ड का अध्यक्ष यह है, हम लोग सब 100 प्रतिशत अविश्वास मत डाल दें इसके ऊपर, उसको हटा नहीं सकते, जब तक कि सरकार नहीं हटाए उसे। इसमें क्या गणतंत्र रहा, लोकतंत्र रहा, स्वायत्त रहा। अपने आदमी को अपने आप चुनना या उस पर विश्वास होना कहां रहा? इसी प्रकार से सीईओ, यह मजाकिया प्रावधान है, मजाकिया है। मुस्लिम वक्फ

बोर्ड का सीईओ भी नॉन मुसलमान हो सकता है। सीईओ को आप कई नामों से बुला सकते हैं, जो मैनेजर कह लीजिए, जो दिन-प्रतिदिन काम चलाता है, गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंधक होते हैं कई सीनियर, वरिष्ठ वो सिख ही नहीं हो। ये प्रावधान है सीईओ के बारे में और यह बता दूं मैं आपको कि पहले सब प्रावधान इसमें विपरीत थे इसके। एक सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान, तो अभी तक जितना मैंने बोला उसमें दो मामलों में उच्चतम न्यायालय ने प्रतिबंध लगाया है आज। अभी तक जितना मैंने बोला उस पर बात कर रहा हूं 9 पर और 14 पर और कहा है कि 9 और 14 की जो आज की स्थिति है, अस्तित्व है, उसको आप अगली तारीख तक या आगे तक, जब तक कि अनुमति नहीं आए कोर्ट की या बदलाव नहीं आए इस आंतरिक आदेश में, तब तक आप उनके अस्तित्व को नहीं बदल सकते। नियुक्तियां या रिक्त स्थान को भरना या अदला बदली करना नहीं कर सकते आप, तो इन दो पर तो आज ही हो गया है।

एक तीसरे मुद्दे पर आज और आंतरिक आदेश हुआ है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है और जिसको लोग समझ नहीं पाते हैं आसानी से। मैं आपको सरल रूप से बता दूं वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या है - वक्फ बाय यूजर जो एक फ्रेज है लगभग 150 साल से हमारे कानून में चल रहा है। यह मामला प्रीवी काउंसिल तक गया है। दो निर्णय अभी हाल में हुए 10 वर्ष के अंदर, एक अयोध्या, उससे पहले एक एम सिद्दीकी, उसमें पुराने 100 वर्ष के सब निर्णय कोटेड हैं, जिनको रुचि है वह उसको खोलकर पढ़ लें और इन सब में यह कहा गया है कि वक्फ बाय यूजर सिंपली यही है कि आदमी अपने उद्देश्य द्वारा, अपने कार्य द्वारा, अपने कर कमलों द्वारा, अपने बोलने द्वारा, अपने दर्शाने द्वारा एक वक्फ बना सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि वह लिखित रूप से उसको प्रमाणित करे, एक रजिस्टर्ड डीड बनाए, एक डॉक्यूमेंट उपजाए और यह हक मुसलमान का वक्फ के विषय में सैकड़ों साल पुराना है।

अब इस संदर्भ में इसमें एक प्रावधान था हमेशा 100 साल से 1913, 1923, 1995, 2013, एक प्रोविजन... 3(R) था, जिसमें वक्फ बाय यूजर को देखा गया था, संज्ञान लिया गया था उसका, उसको माना गया था उसके अस्तित्व को, जो कि 100 साल पुराना केस लॉ में है। एक पेन की स्याही के एक टिक से वो पूरा तीन आर, थ्री आर को डिलीट कर दिया इसमें। डिलीट का मतलब है कि वक्फ बाय यूजर का आज कानूनी कोई अस्तित्व नहीं है, अगर आप कानून को पढ़े जैसा है आज। तो उच्चतम न्यायालय ने और हम उसका भी बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। कहा है कि अभी तक आंतरिक रूप में जो-जो भी वक्फ हैं, जो डिक्लेयर्ड हैं या रजिस्टर्ड हैं, इंक्लूडिंग एक अदर कैटेगरी, यानी वक्फ

बाय यूज़र, वो सब में यथास्थिति, यानी आज की स्थिति कानून के पहले रहेगी। इसका अंतिम निर्णय तो उच्चतम न्यायालय करेगी, लेकिन यथास्थिति कानून के लागू होने के पहले वैसी ही रहेगी। यह एक तीसरा आंतरिक आदेश है और बिंदु हैं, जिनको अभी तक निर्णित नहीं किया उच्चतम न्यायालय ने और हम आशा और विश्वास करते हैं कि अगली तारीख, जो 5 तारीख है, उसमें बहुत सारे ऐसे निर्णयों का निर्णय होगा, उनमें से एक मुख्य है जिसका निर्णय हमारे पक्ष में अभी नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको समझा दूं वो।

वो है तीन प्रावधान 3 कैपिटल सी, उसका सब क्लॉज़ वन, टू एंड प्रोवाइजो और साथ-साथ 36 और सब क्लॉज़ 7(ए) और 10, ये बड़ी अजीबोगरीब चीज कहता है, जो हम अगली बार पक्ष रखेंगे उच्चतम न्यायालय के सामने, अभी हमने दलील की, उसमें कोई ऑर्डर नहीं हुआ है। यह बड़ा रोचक पक्ष है, क्या है - मैं किसी कारण से, द्वेष से, प्यार से, गुस्से में, कैसे भी इनके बारे में और इनके बारे में आरोप कर देता हूं, एक बड़ी विस्तार से एक चिट्ठी लिखकर कलेक्टर को भेज देता हूं। कलेक्टर जो कि पूरी तरह से सरकार का नुमाइंदा है, किसी भी कारण से उसको एक डिस्प्यूट करार कर देता है। विवाद, शब्द इस्तेमाल है विवाद। उसको कोई कारण देने की जरूरत नहीं है कि यह कितनी हास्यस्पद है विवाद, यह हो ही नहीं सकता, इत्यादि-इत्यादि। उसने उसको डिस्प्यूट करार किया, जैसे ही वह डिस्प्यूट करता है, तो तीन प्रावधान आ जाते हैं, अजीबोगरीब प्रावधान।

पहला प्रावधान - कि जब तक वह कलेक्टर जो 100 प्रतिशत सरकार का नुमाइंदा है, वह उस विवाद को निर्णित नहीं करे, तब तक यह पक्ष जो (उदाहरण के लिए) मिस्टर इमरान प्रतापगढ़ी का है वो वक्फ नहीं माना जाएगा। वर्ड्स एग्जैक्ट पढ़ दूं मैं आपको shall not be treated as waqf property. जब तक कब - जब तक मैं कलेक्टर निर्णित कर रहा हूं और याद रहे कलेक्टर सिर्फ नुमाइंदा सरकार का नहीं है। बहुत सारे ऐसे विवाद हैं, जहां पर सरकार ने ही वक्फ की जमीन पर इंक्रोचमेंट कर दिया है। इनका कहना है कि आप मेरी जमीन पर बैठे हो, उसी को विवाद बना के तब तक... ये कंप्लेनेंट है तो भी इन्हीं के विवाद के आधार पर इन्हीं की वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, जब तक विवाद नहीं निर्णित होगा। ये आपको विश्वास नहीं है तो आप उठा के पढ़ लीजिए इसमें। 3 सी कैपिटल वन, कैपिटल टू ब्रैकेट प्रोवाइज।

अब इसके दो और परिणाम हैं। दूसरा परिणाम है कि अगर आप विवाद के अंदर हो, तो अगर चाहें भी मिस्टर प्रतापगढ़ी तो भी जाकर इसको रजिस्टर नहीं करवा सकते, क्योंकि

विवादित है। तो रजिस्ट्रेशन प्रतिबंधित है, जो यह एक्ट चाहता है कि रजिस्टर हो, लेकिन साथ-साथ दूसरी आवाज में कहता है कि जब तक यह विवाद है, तब तक कोई रजिस्टर करेगा नहीं और तीसरा जब तक आप रजिस्टर नहीं करेंगे, तो आप किसी कोर्ट कचहरी नहीं जा सकते। यह है 36 (7)(ए), 36(10) दो हैं प्रावधान। अब देखिए ये चक्रव्यूह जो बनाया है, ये पूरा चक्रव्यूह है। इस चक्रव्यूह में बड़े से बड़ा योद्धा अभी अभिमन्यु भी नहीं निकल सकता। पहले तो और उसके ऊपर मजाकिया है कि कलेक्टर को कोई समय सीमा नहीं जब तक विवाद निर्णित करे। तो इनके बच्चे और पोते भी उसको विवाद में चल... तब तक वो वक्फ नहीं रहेगा और विवाद का वक्फ नहीं रहेगा, तो रजिस्टर नहीं होगा, रजिस्टर नहीं होगा तो कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये प्रावधान हम बड़े मजबूती से रखने वाले हैं कोर्ट के सामने और प्रावधान है, जिनका मैं अभी आपको लिमिटेशन का और एंशिएंट मोन्यूमेंट्स एक्ट का, उसके बारे में आपको ट्रबल नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ अभिप्राय, मेरा उद्देश्य एक ही था यह बताना कि यह एक बहुत सब्सटेंटिव, मजबूत, तथ्यों पर आधारित, कानून के महत्वपूर्ण तर्कों पर आधारित याचिकाएं हैं, कई सारी याचिकाएं हैं। यह कोई ऐसा नहीं है कि किसी के स्वप्नलोक से इजाद हुआ, कोई एक frivolous, false and fictitious तरह की याचिकाएं है और यह मुद्दे गंभीर हैं।

जैसा मैंने कहा तीन मुद्दों पर जो आंतरिक आदेश हुआ उसका हम स्वागत करते हैं। हम मानते हैं कि यह कानून यह विडंबना बनाता है कि जैसा मैंने अपने संसद के भाषण में कहा था कि

मिट्टी मेरी, मकान मेरा, इबादत मेरी, निशान मेरा।
फिर भी कहते हैं सबूत दे कि हक है तेरा।

तो यह जो विपरीत रूप से यह बदलता है पूरा सिस्टम, यह बहुत आपत्तिजनक है।

दोस्तों मैं यह सिर्फ कहना चाहूंगा कि We are not here to defend just one community, don't treat it as a community specific issue. We are here to defend a constitutional principle. The constitutional principle is that the rights like; Article 26 cannot be sacrificed at the altar of majoritarian convenience. People forget that the constitutional rights are rights against the majority, if they were rights for the majority or not against the majority, there will be no need for constitutional rights, what is the need for it? Today, it is the Waqf, friends. Tomorrow, it could be your shrine, your institution, your faith and even your voice. This act is not just legally flawed, it is morally vacant it takes the soul of religious freedom and stuffs it into a file marked subject to approval. If this can be done in the name of administrative regulation, then no freedom is safe, and

no institution is sacred. This is not the future which framers of our constitution envisioned and it is not the future which the congress party will allow subject to the court orders.

यह सिर्फ मामले को मुसलमान या अल्पसंख्यक की नजर से देखना सही नहीं होगा। यह मामला निश्चित रूप से उनके संबंध का है, लेकिन यह संविधान की आत्मा का सवाल है सर्वोपरि रूप से। अगर आज एक समुदाय के धार्मिक संस्थानों पर कब्जा हो सकता है, तो कल हर अल्पसंख्यक संस्था खतरे में होगी। यह विधेयक संविधान की बराबरी की भावना पर आक्रमण करता है और यह धार्मिक स्वतंत्रता को सरकारी मंजूरी से जोड़ने की कोशिश करता है। आपकी संवैधानिक स्वतंत्रता, आपकी धार्मिक स्वतंत्रता, मेरी प्रशासनिक या सरकारी मजबूरी पर निर्भर है। अगर हम आज नहीं बोलेंगे तो कल बोलने का हक शायद हम सबसे भी छिन जाएगा और यह लड़ाई केवल एक कानून की नहीं, एक सोच के विरुद्ध जो है। अधिकारों को रियायत और पहचान को शक समझती है, यह हमारा मूल इस पर विरोध है।

Friends, all I would say is that it's a very important event and we are as a political party extremely grateful to the Supreme Court for having spent considerable time yesterday, almost full two hours, more than two hours and then again at the request of the government taken up again today and passed an interim order which will of course be subject to further hearing on 5th and we believe that this is an extremely important step towards the restoration of constitutional principle, constitutional morality, and constitutional correctness and rightness.

श्री इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा- धन्यवाद आदरणीय अभिषेक मनु सिंघवी जी। सबसे पहले तो आपने जिस मजबूती के साथ आज पक्ष रखा माननीय उच्चतम न्यायालय में, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं एक याचिकाकर्ता भी रहा हूं इस मामले में। तो आज माननीय उच्चतम न्यायालय का जो अंतरिम राहत का आदेश है, उस पर मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का शुक्रिया भी अदा करता हूं और राहत की सांस भी लेता हूं कि वक्फ कानूनों में जो संविधान विरोधी संशोधन किए गए थे, उस पर आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई सारे बिंदु हैं, जिस पर रोक लगाई है अगले आदेश तक।

तो जेपीसी में जो सुझाव विपक्ष के तमाम सांसदों ने दिए थे, जिसे नकार दिया गया था। संसद में बहस के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में जो सुझाव विपक्ष के सांसदों ने अपने डिबेट के दौरान रखे थे, जिनको नकार दिया गया था, सरकार ने बिल्कुल नहीं

सुना था। उन तमाम पहलुओं को लेकर कई सारे याचिकाकर्ता, जो माननीय उच्चतम न्यायालय की चौखट तक गए, तो आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है, हम उस अंतरिम राहत के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाली अगली सुनवाई में हमें और राहत मिलेगी, क्योंकि ये संविधान के मूल पर हमला था, किसी धर्म विशेष, किसी वर्ग विशेष का मामला नहीं था, ये संविधान की जीत है और हम बतौर कांग्रेस पार्टी, मैं बतौर अल्पसंख्यक विभाग के और एक सांसद के बतौर मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान बनाने, बचाने और संवारने की पूरी जिम्मेदारी हमेशा उठाई है और उसे हमेशा उठाएगी।

तो आज के इस फैसले पर मैं बहुत आभारी हूं माननीय उच्चतम न्यायालय का और इस फैसले का स्वागत करता हूं खुले मन से और अभिषेक मनु सिंघवी जी का धन्यवाद कि बहुत जोरदार तरीके से आपने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दलीलें रखी, जिसमें बहुत सारे बिंदुओं पर माननीय उच्चतम न्यायालय सहमत रहे। तो आप सारे मीडिया के साथियों का आभार भी प्रकट करते हैं। ये मसला किसी वर्ग विशेष का नहीं है। जलते घर को देखने वालों, फूंस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो एक-एक करके संविधान को कुचलने की हर सरकारी कोशिश के खिलाफ इस देश के हर नागरिक को खड़ा होना पड़ेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

On a question that this argument with respect to Waqf by user that a large portion of land has been in different parts of the country taken over by certain Waqf boards for instance the hot topic right now being the Kerala issue Ernakulam, what is the nitty-gritty of this logic which is being given by the government even when the bill was piloted Home Minister mentioned the Munambam controversy where they are saying that 400 acres of ancestor land belonging to Christians and Hindus is under the state Waqf board, now that's one of the issue, Dr. Abhishek Manu Singhvi said- First and foremost the honorable Home Minister as he did in Parliament forget that he was speaking about the constitutional validity of the act. Just like we are also asking this question, I don't mean you, but the people who ask this question are forgetting that what we are arguing in the Supreme Court is the constitutional validity of the act. A constitutional validity of the act will not be judged by a stray abuse supposedly true. I am not saying it is true in Kerala or Kashmir or Paschim Bengal or Gujarat. The validity of a law is judged by its language, its effect, its reach, its possible consequences, not by how an individual violates it, distort its, or mangles it that's point one.

Point two, an emotive argument was made in my presence when I was one of the main speakers in Parliament that if you don't pass this kind of law, Parliament is also Waqf, your house is also Waqf, my house is also Waqf, somebody said the Supreme Court is also Waqf.

Will you decide this validity like this of this law? This is the same argument I am very sorry to say which the hon'ble Prime Minister in his rally said- about Mangal Sutra and the family gold and silver. Let me assume that a foolish man claims that the Taj Mahal is Waqf or a foolish man claims that my house or the Supreme Court is Waqf; does that validate this law or does that destroy this law? That will be dealt with individually in our particular case. So, this is a deliberate attempt to mislead, misinform, create an aura where people are prejudiced in their minds, a certain hate is generated and it is known to the speaker who say this and yet this hate.

एक प्रश्न पर कि ये आप लोगों की जीत है या सरकार की हार? डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि देखिए, मैं इन मामलों में बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन आप देखेंगे, मेरे शब्द बहुत सीमित हैं, बहुत नियंत्रित हैं और बहुत अनुशासन से भरे हुए हैं। हमारी जीत और उनकी हार की बात नहीं है, जो आदेश है, आंतरिक आदेश है उच्चतम न्यायालय का, वो मैंने आपके सामने रख दिया है, तीन बिंदुओं का आदेश है। हमारे बिंदु तीन-चार और हैं, उन पर निर्णय अभी नहीं दिया गया है, उस पर आंतरिक आदेश नहीं हुआ है। निश्चित रूप से जो यथास्थिति कानून की पहले दिन थी एक दिन पूर्व, वो इन तीन बिंदुओं पर उच्चतम न्यायालय ने पुर्न स्थापित की है। तो वो बहुत अच्छी बात है, हम उसका स्वागत कर रहे हैं। नॉर्मली मैं समझता हूं कि उस चीज का स्वागत नहीं किया जाता है, जिसमें हम हार गए हों या तकलीफ हो जिससे हमें।

Sd/-
Secretary
Communication Deptt.
AICC